



Office of the District Basic Education Officer
AMROHA

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that THE AARYANS SCHOOL, VILLAGE NARANGPUR is permanently recognized for Pre-Primary, Primary and Junior School (class 1 to 8). The Recognition number allotted to THE AARYANS SCHOOL is 3034. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

10-07-2024 (DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4. School Type

Pre-Primary, Primary and Junior School

5. Recognition No.

3034

DATE:- 10-07-2024

PLACE:- AMROHA

District Basic Education Officer

Digitally signed by MONIKA
Date: 2024.07.10 13:47:23
Reason: For Digital Signature
Location: AMROHA



Note: This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.premaup.in

प्रेषक:-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

जनपद-अमरोहा।

सेवा में,

प्रबन्धक

द आर्यन्स, प्रेमनगर जोया, विकास खण्ड जोया, जिला अमरोहा

पत्रांक -बे0(1)/ 30345-49 /2015-16 दिनांक 31/02/15

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता का प्रमाण पत्र।

आपके तारीख 01.07.2015 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्तर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, शासनादेश सं0 419/79-6-2013-18 एस(7)/89 शिक्षा अनुभाग 6 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 में उल्लिखित प्राविधानानुसार आवेदक समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार, मैं द आर्यन्स, प्रेमनगर जोया, विकास खण्ड जोया, जिला अमरोहा (विद्यालय का नाम पते सहित) को तारीख 01.07.2015 से तारीख 30.06.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्वधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 के उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरितियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक में खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - I. प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - II. किसी भी बालक को शारिरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जाएगा।
 - III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकाथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशुल्कता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
 - VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन तथा अधिकाथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों को पालन करता है और
- VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियमों की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सुविधाओं को बनाए रखेगा।

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-



शेष पृष्ठ 2 पर

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	5305 वर्ग मी०
कुल निर्मित क्षेत्र	1540 वर्ग मी०
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	3765 वर्ग मीटर
कक्षाओं की संख्या	12
प्राध्यापक-सह-कार्यालय सह भांडागार के लिए कक्ष	2
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	2
पेयजल सुविधा	1 सबमर्सिबल टंकी
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई	-
बाधारहित पहुंच	-

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक USE-14 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है और समय समय पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित और सुनिश्चित सरकार /स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित कर लें या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायेंगे।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

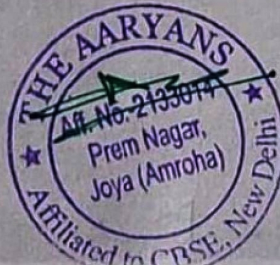
यदि आपके द्वारा प्रस्तुत पत्राजातों में कोई तथ्य छिपाया हुआ पाया जाता है और उसके प्रकाश में आने पर इस मान्यता आदेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो बिना किसी नोटिस के मान्यता समाप्त करने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(गिरवर सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद-अमरोहा

पत्रांक - वे० (1)/ _____ /2015-16 दिनांक
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० इलाहाबाद
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्डल मुरादाबाद।
3. समाज कल्याण अधिकारी/ पिछड़ा वर्ग अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद-अमरोहा।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-अमरोहा।



जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद-अमरोहा